RCT N0. - 8/2022
State of M.P. Vs. Ramprakash Chikva

प्रारूप–घ

न्यायालयः–विनय सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

Registration No.-8/2022
Filing No.-RCT/35/2022
CNR No.-MP1905-000059-2022
Filling Date-10-01-2022

(निर्णय दिनांकः–03.08.2022)
(प्रकरण क्रमांक 8/2022)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ताला, जिला सतना म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री सतीश वर्मा ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्तगण	1. रामप्रकाश चिकबा पुत्र श्री रामगोपाल चिकबा आयु 23 वर्ष, निवासी ग्राम ताला, थाना ताला, जिला सतना म.प्र
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री पंकज तिवारी अधिवक्ता

प्रारूप–ड.

अपराध की तिथि	08.12.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	08.12.2021
आरोपपत्र की तिथि	10.01.2022
आरोपों की विरचना की तिथि	11.04.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	20.06.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	निरंक
निर्णय की तिथि	03.08.2022
दंडादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दंडादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ

							विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1	रामप्रकाश चिकबा पुत्र श्री रामगोपाल चिकबा आयु 23 वर्ष	08.12. 2021	कुछ नहीं।	म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2)	दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	238 दिवस।

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क–अभियोजन साक्षियो की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
अ.सा. 1	बृजेन्द्र साकेत	पंचसाक्षी
अ.सा. 2	टेड़ीलाल साकेत	पंचसाक्षी
अ.सा. 3	अमरनाथ वर्मा	पुलिस साक्षी/विवेचना अधिकारी

ख–प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
	कुछ नहीं	

ग–न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
	कुछ नहीं	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क–अभियोजन

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी. 1/अ.सा. 1	घटना स्थल का रेखाचित्र/अपराध विवरण फार्म
2.	प्र.पी. 2/अ.सा. 1	जप्ती पत्रक
3.	प्र.पी. 3/अ.सा. 1	गिरफ्तारी पत्रक
4.	प्र.पी. 4/अ.सा. 1	साक्षी बृजेन्द्र साकेत अ.सा. 1 के धारा 161 द.प्र.सं. के कथन
5.	प्र.पी. 5/अ.सा. 2	आहत टेड़ीलाल साकेत अ.सा. 2 के धारा 161 द.प्र.सं. के कथन
6.	प्र.पी. 6/अ.सा. 3	प्रथम सूचना रिपोर्ट

<u>ख–प्रतिरक्षा</u>

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	कुछ नहीं	

<u>ग–न्यायालयीन प्रदर्श</u>

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	कुछ नहीं	

<u>घ–आवश्यक वस्तुएं</u>

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	आवश्यक वस्तु ए1, ए2, ए 3, ए4, ए5, ए6 एवं ए7	जप्तशुदा शराब के पृथक–पृथक कारटून

आरक्षी केन्द्र ताला, तहसील–अमरपाटन, जिला–सतना, के अपराध क्रमांक–296/21, अंतर्गत धारा 34 (2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 से उद्भूत प्रकरण।

:: निर्णय ::

(आज दिनांक **<u>03.08.2022</u>** को घोषित)

01. अभियुक्त पर दिनांक 08.12.2021 को प्रातः 10:34 बजे से दोपहर 13:42 बजे के मध्य, आरक्षी केन्द्र थाना ताला, जिला सतना

अंतर्गत ग्राम ताला में वैध अनुज्ञप्ति के बिना लगभग 6 पेटी अर्थात 57 बल्क लीटर देशी शराब अपने आधिपत्य में रखने का अभियोग है जो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (2) के अधीन दण्डनीय अपराध है।

02. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.12.2021 को थाना ताला के स.उ.नि अमरनाथ वर्मा को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ताला का रामप्रकाश चिकवा पिता रामगोपाल चिकवा, सुरेश कुशवाहा का खेत अधिया मे लिये हुये है और वहीं पर धान के पुआल के नीचे शराब विक्रय करने के लिए उसका भण्डारण किये हुये है। सूचना प्राप्त होने पर वह अपने थाने के हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर की सूचना की तस्दीक के लिये ग्राम ताला पहुंचे जहां पंचसाक्षी बृजेन्द्र साकेत एवं टेरीलाल साकेत को सूचना से अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जांच करने पर अभियुक्त के धान के पुआल के नीचे से शराब की कुल 6 बंद पेटी प्राप्त हुयी, प्रत्येक पेटी के अंदर 50–50 पाव शराब थी एवं 20 पाव देशी मदिरा पृथक से प्राप्त हुयी। इस प्रकार अभियुक्त अपने आधिपत्य मे कुल 57 लीटर, कीमती 24,000/– रूपये की शराब रखे पाया गया। उक्त शराब मौके पर ही पंच साक्षियों के समक्ष जप्त की गयी। थाना वापस आकर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, अन्वेषण के क्रम में घटनास्थल का रेखाचित्र तैयार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये पटवारी हल्का से नक्शा ट्रेश प्राप्त किया गया। जप्तशुदा शराब की जांच आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त अमरपाटन से करायी गयी एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में दिनांक 10.01.2022 को प्रस्तुत किया गया।

03. अपने अभिवाक् मे अभियुक्त ने आरोपित अपराध का प्रत्याख्यान किया एवं प्रतिरक्षा चाही। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किये गये अपने परीक्षण मे उसने अभियोजन की समस्त साक्ष्य की सत्यता से इंकार करते हुये स्वयं को निर्दोष होना एवं इस मामले में झूठा फंसाया जाना बताया है। अभियुक्त ने बचाव मे प्रवेश कराये जाने पर कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :–

(01). क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.12.2021 को प्रातः 10:34 बजे से

दोपहर 13:42 बजे के मध्य, आरक्षी केन्द्र थाना ताला, जिला सतना अंतर्गत ग्राम ताला में वैध अनुज्ञप्ति के बिना देशी मदिरा लगभग 6 पेटी अर्थात 57 बल्क लीटर देशी शराब अपने आधिपत्य में रखी थी ?

(02). क्या अभियुक्त ने ऐसा वैध अनुज्ञप्ति के बिना किया था ?

<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 .–</u>

05. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित क्रमबंधन और सम्यक विवेचना करने तथा साक्ष्य विवेचना की पुनरावृत्ति को निवारित करने के आशय से उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

06. सहायक उप निरीक्षक अमरनाथ वर्मा **(अ.सा.–3)** इस मामले के अनुसंधान अधिकारी हैं। उनका अभिकथन है कि दिनांक 08.12.2021 को थाना ताला में स.उ.नि. के पद पर पदस्थ रहते हुये उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी थी कि ग्राम ताला में रामप्रकाश चिकबा उर्फ प्रकाश अपने अधियां के खेत मे झोपड़ी बनाकर धान के पुआल के नीचे अवैध रूप से शराब विक्रय हेतु शराब का भण्डारण कर रखा है। मुखबिर की सूचना के बताये गये स्थान पर साक्षी बृजेन्द्र साकेत, टेरीलाल साकेत को सूचना से अवगत कराकर जांच करने पर अभियुक्त के अंधिया मे लिये गये खेत में धान के पुआल के नीचे से 6 पेटी मे 50 पाव शराब एवं 20 पाव शराब अलग से कुल 57 शराब लीटर पाई गयी। अभियुक्त से शराब रखने का दस्तावेज मांगने पर अभियुक्त द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए मौके पर ही उनके द्वारा शराब जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.–2 तैयार किया। अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.–3 तैयार करना बताया है। उनके अनुसार उन्होंने घटना स्थल का रेखाचित्र प्रदर्श पी.–1 तैयार किया और जप्तशुदा शराब सहित थाना वापस आकर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 पंजीबद्ध की गयी। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन उनके द्वारा लेखबद्ध किये गये एवं जप्तशुदा शराब की जांच हेतु प्रत्येक पेटी से दो–दो पाव देशी शराब एवं अलग से रखी 20 पाव शराब मे से 1 पाव शराब जांच हेतु आबकारी वृत्त अमरपाटन को भेजी गयी।

07. अनुसंधान अधिकारी के परीक्षण के दौरान प्रकरण मे जप्तशुदा शराब न्यायालय के मालखाना से बुलाया गया था, जो एक बोरी मे 6 कारटून के अंदर सीलबंद हालत मे प्राप्त हुई थी। सील खोलकर साक्षी

को दिखाया गया तो साक्षी ने अभियुक्त से आर्टिकल ए1 से ए 7/आवश्यक वस्तु ए1 से ए7 की शराब जप्त करना बताया है।

08. पंच साक्षी बृजेन्द्र साकेत (अ.सा.–1) व टेढ़ीलाल साकेत (अ.सा. –2) पूर्णतः पक्षद्रोही रहे हैं। उनके समक्ष जप्ती, गिरफ्तारी एवं घटना स्थल का रेखाचित्र की कार्यवाही नहीं किये जाने के कथन किये है तथा घटना स्थल का रेखा चित्र प्र.पी. 1, जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 3 पर बने हस्ताक्षर उनके द्वारा नहीं किये जाने के कथन किये गये है। अभियोजन कथा का समर्थन न करने पर अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में न्यायालय की अनुमति से पूछे जाने योग्य प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने उनके समक्ष कोई कार्यवाही न होना व्यक्त किया है।

09. इस प्रकार अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध मात्र अनुसंधान अधिकारी की एकल साक्ष्य है और मात्र इसके आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के पूर्व यह आवश्यक है कि उनके कथनों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाये।

10. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी अमरनाथ वर्मा (अ.सा.–1) ने अपने प्रतिपरीक्षण मे यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल पर मे रवानगी अथवा वापसी के संबंध मे कोई भी रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त को गिरफ्तार करने से 20 मिनट पहले घटना स्थल का रेखाचित्र तैयार कर लिया था। इसके अतिरिक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 5 मे यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय स्वतंत्र विनय पटेल एवं सुरेश कुशवाहा खेत मे उपस्थित थे एवं उसके द्वारा उनके कथन लेखबद्ध नहीं किये गये है एवं उनके द्वारा घटना स्थल किसके आधिपत्य की भूमि थी इस संबंध में मे कोई भी दस्तावेज प्रकरण के साथ संलग्न नहीं किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 6 मे यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा स्थल पंचनामा के किसी भी साक्षी के कथन लेखबद्ध नहीं किये गये है और जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 पर सील नमूना भी अंकित नहीं की गयी है। उक्त साक्षी नें यह भी कथन किये है कि अभियुक्त को पकड़ने के पहले उनके द्वारा स्वयं या स्टॉफ की तलाशी नहीं ली गयी थी।

11. इसी प्रकार अनुसंधान अधिकारी अमरनाथ वर्मा (अ.सा.–3) ने अपने प्रतिपरीक्षण मे यह भी भी स्वीकार किया है कि उनके द्वारा प्रकरण मे जप्तशुदा शराब की जांच करने वाले आबकारी उपनिरीक्षक

को प्रकरण मे साक्षी नहीं बनाया है और उनके कोई प्रकरण मे कथन भी लेखबद्ध नहीं किये गये है। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी अमरनाथ वर्मा की साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत निम्नलिखित संदेह उत्पन्न होते हैः—

(क). जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 में कोई नमूना सील अंकित नहीं है, जिससे यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि घटना के समय जप्तशुदा शराब को सीलबंद किया गया था अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त जप्ती पत्रक प्र. पी. 2 के ए से ए एवं बी से बी भाग पर कार्बन लगाकर साक्षी बृजेन्द्र साकेत एवं टेरीलाल साकेत के हस्ताक्षर किये गये है। उक्त हस्ताक्षर पेन से न किये जाकर कार्बन के माध्यम से किये गये है। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 6 मे भी जप्तशुदा मदिरा के सीलबंद किये जाने का उल्लेख नहीं है। जिससे इस संबंध मे संदेह उत्पन्न हो जाता है कि घटना के समय साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से जप्ती पत्रक मे उल्लेखित मदिरा जप्त कर सीलबंद की गयी थी अथवा नहीं।

(ख). विवेचना अधिकारी अमरनाथ वर्मा (अ.सा.—3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में उनकी स्वयं की एवं अन्य स्टॉफ की जप्ती से पहले तलाशी किये जाने से इंकार किया है और स्थल पंचनामा के साक्षियों के कथन लेने एवं उन्हें साक्ष्य सूची मे सम्मिलित करने से इंकार किया है जो निष्पक्ष अनुसंधान कार्यवाही दर्शाते है। इसी प्रकार साक्षी विनय पटेल एवं सुरेश कुशवाहा की उपस्थिति अनुसंधान अधिकारी ने घटना के समय होना बताया है, परन्तु उक्त साक्षियों के भी कोई कथन प्रकरण मे संलग्न नहीं है, जो निष्पक्ष अनुसंधान कार्यवाही का अभाव दर्शित करती है।

(ग). प्रकरण में विवेचना अधिकारी द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के पश्चात् थाना रवाना होने के कथन किये है, परन्तु इस संबंध मे कोई रोजनामचा सान्हा प्रकरण मे संलग्न नहीं है, जिससे इस संबंध मे संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर विवेचना अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर अभियुक्त के आधिपत्य से शराब जप्त की थी या नहीं।

(घ). अभियोजन ने मदिरा जांच प्रतिवेदन को प्रदर्शित नहीं कराया है और इस संबंध मे मदिरा का परीक्षण कर मदिरा जांच प्रतिवेदन देने वाले साक्षी को साक्ष्य सूची मे समाहित नहीं किया और ना ही उक्त मदिरा जांच प्रतिवेदन को प्रदर्शित ही कराया है, अभिलेख के साथ संलग्न मदिरा जांच प्रतिवेदन में सील नहीं लगी है। जिससे इस संबंध

मे संदेह उत्पन्न हो जाता है कि अभियुक्त से जप्तशुदा सम्पत्ति परीक्षण हेतु भेजे जाते समय सीलबंद की गयी थी अथवा नहीं।

(ङ). प्रकरण में कोई भी सैम्पल पंचनामा तैयार नहीं किया गया है, जिससे यह भी संदेहास्पद हो जाता है कि प्रकरण में अभियुक्त से जप्तशुदा शराब को परीक्षण हेतु विधिवत सैम्पल तैयार कर सीलबंद कर भेजा गया था अथवा नहीं।

(च). इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी अमरनाथ वर्मा (अ.सा.–3) ने अपने मुख्य परीक्षण मे कहीं भी इस संबंध मे कोई कथन नहीं किये है अभियुक्त से शराब जप्त कर उसे सीलबंद किया गया था। अभियोग पत्र मे जप्तशुदा शराब को मालखाना रजिस्टर में किस नंबर पर जमा किया गया इसका कोई उल्लेख नहीं है और मालखाना रजिस्टर में जप्तशुदा शराब किस नंबर पर जमा की गयी थी इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई कथन नहीं किये गये है, जो जप्ती को संदेहास्पद बनाते है।

(छ). जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 में मामले के अपराध क्रमांक का उल्लेख किया गया है जबकि जप्ती किये जाते समय कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किये जाने के कारण कोई अपराध क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ था। इसके लिए जप्ती पत्रक पर अपराध क्रमांक का उल्लेख यह दर्शित करता है कि मामले मे जप्ती की कार्यवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 6 के लेखबद्ध करने के पश्चात् की गयी है। उक्त तथ्य विवेचक द्वारा बताये गये समस्त घटनाक्रम को ही परिवर्तित कर देता है।

12. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि घटना के दोनो पंचसाक्षी पूर्णतः पक्षद्रोही रहे है और उनके द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया गया है। अनुसंधान अधिकारी के साथ मौके पर गये पुलिसकर्मी को अभियोजन ने साक्षी के तौर पर परीक्षण नहीं कराया है। जप्तशुदा शराब के जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 2 में मौके पर शराब जप्तकर सैंपल पृथक कर मौके पर सीलबंद करने वाली नमूना सील नहीं लगायी गयी है। इस प्रकार अनुसंधान कार्यवाही में अनेकों विसंगतियां है, जो विवेचक की सम्पूर्ण साक्ष्य को संदेह की परिधि में लाता है। दांडिक विधिशास्त्र का यह मूलभूल सिद्धान्त है कि संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के आधिपत्य से इस मामले में शराब जप्त किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है और अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र है।

RCT N0. - 8/2022
State of M.P. Vs. Ramprakash Chikva

अंतिम आदेश

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना एवं विचारणीय बिन्दुओं पर प्राप्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त पर आरोपित दोषारोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्त रामप्रकाश चिकवा पुत्र श्री रामगोपाल चिकवा को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (2) के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में **दोषमुक्त** कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

14. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति–पत्र व बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं। अभियुक्त जेल वारण्ट के अनुपालन में न्यायालय में उपस्थित हो रहा है। जेल वारण्ट में यह टीप अंकित की जाये कि यदि अभियुक्त की किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उसे अविलंब रिहा किया जाये।

15. प्रकरण में जप्तशुदा शराब खतरनाक होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पत्ति का व्ययन किया जाए।

16. अभियुक्त अनुसंधान एवं विचारण के दौरान दिनांक 08.01.2022 से दिनांक 03.08.2022 तक कुल 238 दिन के न्यायिक निरोध में रहा है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द0प्र0सं0 पृथक से तैयार कर अभिलेख के साथ संलग्न किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।
अमरपाटन, दिनांक 03.08.2022।

मेरे आलेख पर टंकित किया गया।

VINAY SONI
c=IN, o=DISTRICT AND SESSIONS COURT SATNA, ou=DISTRICT AND SESSIONS COURT SATNA, postalCode=485001, st=Madhya Pradesh, 2.5.4.20=4fd0af8e248c77b69c82aaf3e0fae6abc323b69874e8dda59f31a15dc4d06538, pseudonym=E5B84DA2906D9A8906F96E7507B3F28B84146112, serialNumber=F66DFF117AE29D401BCA89377494836362DDE730C09C2A47B22E83C1AB02B646, cn=VINAY SONI
2022.08.03 16:28:10 +05'30'

विनय सोनी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, सतना (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि / विधिक उपयोग हेतु अमान्य